The Uttar Pradesh Accommodation Requisition (Amendment) Act, 1972

Act 38 of 1972

Keyword(s):
Accommodation, Requisition, District Magistrate, Notice, Company, Director, Manager

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135815

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उ० प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1972]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 जुलाई, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 3 अगस्त, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 30 सितम्बर, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 5 अक्तूबर, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजिशन ऐक्ट, 1947 को कतिपय संशोधनों के साथ बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25, 1947 के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना का संशोधन

2—(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजिशन ऐक्ट, 1947, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"वासस्थान अधिग्रहण करने की शक्तियों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम।"

(2) मूल अधिनियम के प्रस्तावना में, प्रथम पैरा निकाल दिया जाय।

धारा 1 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 1 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947 कहलायेगा।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 27 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए)

Price 10 paise

(2) उपधारा (3) और (5) निकाल दिये जाय,

(3) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—
"संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।"

धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"3—(1) जहां जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि किसी ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, जो भारत संघ के प्रयोजन के लिए न हो, किसी वासस्थान की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है, और वासस्थान का अधिग्रहण किया जाना चाहिए तो जिला मजिस्ट्रेट—

(क) लिखित नोटिस द्वारा (जिसमें अधिग्रहण करने का प्रयोजन उल्लिखित होगा) वासस्थान के स्वामी तथा अध्यासी को भी ऐसी नोटिस उस पर तामील किये जाने के दिनांक से सप्ताह दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वासस्थान अधिग्रहीत कर लिया जाय, और

(ख) आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि न तो वासस्थान का स्वामी और न कोई अन्य व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, दो माह से अनधिक ऐसी अवधि की, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्ति तक न तो वासस्थान का निस्तारण करेगा, न उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करेगा, और न उसे किसी किरायेदार को किराये पर देगा।

(2) यदि वासस्थान के स्वामी या अध्यासी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह लिखित आदेश द्वारा वासस्थान का अधिग्रहण कर सकता है और ऐसे अग्रेतर आदेश दे सकता है जो उसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा वासस्थान या उसका भाग—

(क) जो उसके स्वामी द्वारा अपने अथवा अपने परिवार के निवासस्थान के रूप में वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता हो, या

(ख) जो या तो जनता द्वारा धार्मिक पूजा के लिये अथवा स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय या अनाथालय के रूप में अथवा ऐसे पूजा-स्थल या ऐसे स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय अथवा अनाथालय का प्रबन्ध करने से सम्बद्ध व्यक्तियों के वासस्थान के प्रयोजनार्थ एकान्तिक रूप से प्रयोग किया जाता हो,

अधिगृहीत नहीं किया जायगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिगृहीत वासस्थान या उसके भाग का प्रयोग किसी किरायेदार द्वारा उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तत्काल पूर्व कम से कम दो महीने पहिले से निवासस्थान के रूप में किया जा रहा हो तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे किरायेदार के हित में वैकल्पिक वासस्थान की, जो उसकी राय में उपयुक्त हो, व्यवस्था करेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के संबंध में धारा 4 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश तामील किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

नयी धारा 15—क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कम्पनियों द्वारा अपराध

"15—क(1)यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य-संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति

से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो ऐसा डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।"

धारा 17 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 17 की संख्या बदलकर उसको उपधारा (1) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

विधान मण्डल के समक्ष नियमों आदि का रखा जाना

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 201 जनरल (लेग०)—1972—1,334 | 50SS (मे०)।